न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 147/2025
ऑनलाईन नम्बर 2025/290

निर्णय दिनांक: 06/03/2026

जगदीश पुत्र सुरजाराम जाति डाकोत निवासी देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. कमला पुत्री सुखाराम
2. नानू पुत्र सुखाराम
3. विमला पुत्री सुखाराम
4. शांति पुत्री सुखाराम

जाति डाकोत निवासीगण देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

6. किशन पुत्र सुरजाराम जाति डाकोत निवासी देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—गौण अप्रार्थी—

उपस्थिति:—

1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री राजूराम बाना अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 व 6
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थी व गौण अप्रार्थी संख्या 6 की संयुक्त खातेदारी का खेत वर्तमान खसरा नम्बर 613/91 तादादी 3.7400 हैक्टेयर रोही देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है । उक्त कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4, गौण अप्रार्थी संख्या 6 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदरी की भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड में रही है। मूल साबिका खसरा नम्बर 61 तादादी 29 बीघा 12 बिस्वा रोही देराजसर भूमि के सेग्रीगेशन के समय नये खसरा नम्बर 91 तादादी 7.4900 हैक्टेयर पैमुद हुये। खसरा नम्बर 91 तादादी 7.4900 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी सम्वत 2061 से 2064 की जमाबन्दी में प्रार्थी, गौण अप्रार्थी संख्या 6 के पिता सुरजाराम व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के पिता सुखाराम की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। मूल खसरा नम्बर 61 तादादी 29 बीघा 12 बिस्वा का खाता विभाजन खातेदारो द्वारा सहमतिपूर्वक तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष दिनांक 28.10.2003 को उपस्थित होकर करवाया गया, जिसके राजस्व एक्स में खसरा नम्बर 61 के विभाजन करते वक्त उक्त खसरा की 14 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रार्थी व गौण प्रतिवादी संख्या 6 के पिता सुरजाराम को

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 12:00:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

पश्चिमी तरफ की दी गई व पूर्वी तरफ की 14 बीघा 16 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व उनकी माता सुन्दर के हिस्से में दी गई। तदनुसार ही खाता विभाजन का नक्शा तैयार किया गया व प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने उक्त खाता विभाजन अनुसार मौके पर लगातार उसी अनुसार काबिज चले आ रहे है । मूल साबिका खसरा नम्बर 61 तादादी 7.4900 हैक्टेयर जिसके सेग्रीगेशन खसरा नम्बर 91 तादादी 7.4900 हैक्टेयर दर्ज हुये । खसरा नम्बर 91 तादादी 7.4900 हैक्टेयर के विभाजन पर वर्तमान खसरा नम्बर 613⁄91 तादादी 3.7400 हैक्टेयर रोही देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की भूमि वर्तमान में प्रार्थी व गौण अप्रार्थी संख्या 6 के संयुक्त खातेदारी में बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज है व वर्तमान खसरा नम्बर 614/91 तादादी 3.7500 हैक्टेयर रोही देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है। उक्त अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की माता के सुन्दर की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, सुन्दर की मृत्यु हो चुकी है व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 सुन्दर के जायज वारिसान है। प्रार्थी खाता विभाजन के अनुसार वर्तमान नक्शा, राजस्व नक्शा खसरा नम्बर 613/91 की बजाय राजस्व रिकार्ड के खसरा नम्बर 614/91 पर खाता विभाजन के समय से ही काबिज है व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 अपनी खातेदारी भूमि 614/91 की जगह वर्तमान खसरा नम्बर 613/91 के राजस्व एक्स की भूमि पर काबिज है। राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही की वजह से प्रार्थी के हिस्से पांति, कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि का विभाजन अनुसार तरमीम न कर राजस्व नक्शा में गलत तरमीम कर दिया । प्रार्थी अनपढ़ व्यक्ति है, पूर्व में उसे इस तथ्य की जानकारी नहीं थी। इस माह प्रार्थी ने अपने खाता विभाजन के लिये दस्तावेज की नकले निकलवाई तो दिनांक 07.07.2025 को पूर्ण जानकारी हुई कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के राजस्व नक्शा में विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.10.2023 के अनुसार तरमीम नहीं की गई, बल्कि गलत तरमीम की गई, जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को सहमति पूर्वक गलत तरमीम को शुद्धि करने का व मौका कब्जानुसार पूर्व विभाजन के नक्शे अनुसार राजस्व एक्स में दुरूस्त करने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण दिनांक 11.07.2025 को इन्कार हो गये । यही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र का आधार है। प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान्‌जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 613/91 तादादी 3.7400 हैक्टेयर रोही देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व नक्शा की तरमीम विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.10.2023 व कब्जा काश्त के अनुसार कर अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के खेत खसरा नम्बर 614/91 तादादी 3.7500 हैक्अयर रोही देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ से नक्शा राजस्व की शुद्धि की जावे ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 एवं 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर ईकबाल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। स्टेट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में अप्रार्थीगण एवं स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 12:00:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नंबर 613/91 तादादी 3.7400 हैक्टेयर एवं खेत खसरा नम्बर 614/91 तादादी 3.7500 हैक्टेयर वाकेरोही देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व एक्स को कब्जा काश्त एवं विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.10.2023 के नजरी नक्शानुसार संशोधन कर तद्नुसार तरमीम दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.10.2023 का नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 06/03/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 12:00:29 IST
Reason: SelfAttested